



राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
NATIONAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING

आईएसओ 9001 : 2015 प्रमाणित/ISO 9001 : 2015 Certified

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था)
(An autonomous Institution under Deptt. of SE&L, Ministry of Education (MoE), Govt. of India)

F-112(14)/2028/NIOS/VE/DYS

दिनांक: 03/03/2025

अधिसूचना - 7/2025

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ध्यान में रखते हुए, व्यावसायिक शिक्षा के योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेक्टर में संचालित पाठ्यक्रमों की प्रवेश अर्हता में निम्नांकित संशोधन किए गए हैं;

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	वर्तमान प्रवेश अर्हता	संशोधित प्रवेश अर्हता
1.	योग शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (वाईटीटीपी 495 - 499) (एक वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम)	10+2 पास अथवा समकक्ष	10+2 उत्तीर्ण अथवा एनसीवीईटी अनुमोदित एनएसक्यूएफ लेवल 4 योग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अथवा उच्च शिक्षा में उत्तीर्ण #विदेशी नागरिकों के सर्टिफिकेट्स की ट्रांसक्रिप्ट इंग्लिश में एबीआई समन्वयक द्वारा सत्यापित एक शपथ पत्र (वेबसाइट पर उपलब्ध) के साथ, #भारतीय विश्वविद्यालय संघ से प्राप्त सहमति के अनुसार सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं।
2.	योग विज्ञान में डिप्लोमा (डीवाईएस 823 - 832)	10+2 पास अथवा समकक्ष	<u>प्रथम वर्ष के लिए</u> 10+2 उत्तीर्ण अथवा एनसीवीईटी अनुमोदित एनएसक्यूएफ लेवल 4 योग पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अथवा उच्च शिक्षा में उत्तीर्ण <u>द्वितीय वर्ष के लिए</u> डीवाईएस प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम 823-827 के सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थी अथवा एनआईओएस के योग शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम 495-499 के सफल अभ्यर्थी लेटरल एंट्री के साथ
3.	प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान में डिप्लोमा (डीएनवाईएस 811 - 822)	10+2 पास अथवा समकक्ष (डीएनवाईएस के द्वितीय वर्ष में सीधे लेटरल एंट्री के साथ किसी प्रतिष्ठित संस्थान, विश्वविद्यालय, से नेचुरोपैथी में प्रमाण पत्र या डिप्लोमा)	<u>प्रथम वर्ष के लिए</u> 10+2 उत्तीर्ण अथवा उच्च शिक्षा में उत्तीर्ण <u>द्वितीय वर्ष के लिए</u> डीएनवाईएस प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम 811-816 के सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थी

इन सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए संशोधित पात्रता मानदंड को प्रवेश सत्र-2025 के प्रथम ब्लॉक (जनवरी से जून) से लागू करने हेतु निर्देश जारी किया जाता है। यह अधिसूचना प्रवेश के लिए सभी विचाराधीन मामलों पर भी लागू होगी। यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

03/03/2025
(डॉ० तारकेश्वर नाथ गिरि)
निदेशक (व्यावसायिक शिक्षा)

प्रतिलिपि:

1. सभी विभागाध्यक्ष
2. सभी क्षेत्रीय निदेशक - सभी अध्ययन केंद्रों के सूचनार्थ एवं कार्यान्वयन हेतु
3. एसए/पी (वेबसाइट पर अपलोडिंग एवं कार्यान्वयन हेतु)
4. निजी सहायक - अध्यक्ष कार्यालय (मा. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ)
5. फाइल प्रति